Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 395/2026, Katihar town P.S. Case No.- 544/2025
Jyoti devi V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 395/2026
Katihar Town P.S. Case No.- 544/2025

1. ज्योति देवी पति विकास कुमार, उ0त0 28 वर्ष,
निवासी सा0 ग्राम– रामनगर डी0एस0 कॉलेज, कटिहार, थाना– नगर,
जिला– कटिहार।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री .....सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री..संजय कुमार सिंह।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 30-04-2026

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 28.03.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 10.04.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक मनोज कुमार ने थानाध्यक्ष नगर थाना कटिहार को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 02.06.2025 को सुबह 4:00 बजे मेरी लड़की तन्नु कुमारी बोली कि मैं बगल के आंटी ज्योति देवी के साथ मॉर्निंग वाक पे जा रही हूँ। करीब 10:00 बजे तक जब मेरी लड़की घर नहीं आई तो हमलोग उसे खोजने लगे। खोजने के क्रम में मैं ज्योति देवी के घर गया तो वह भी अपने आठ साल की बच्ची कुमारी आस्था (लाडो) को लेकर मेरी लड़की के साथ गई है जो वापस घर नहीं आयी है। हम लोग अपने रिस्तेदार तथा ज्योति देवी के रिस्तेदार के यहां भी खोजबीन करवाये लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। आज दिनांक 03.06.2025 को आवेदन दे रहा हूँ। ज्योति देवी का मोबाईल नं0 7631720061 है जो बंद आ रहा है।
3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह तथा सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री अबोध कुमार को सुना।
4. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदिका के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका दिनांक 28.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदिका बिल्कुल निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता आवेदिका के यहां कोई जरूरी काम से आयी थी तथा वह शाम को घर वापस नहीं लौट सकी। कुछ विरोधी लोग आवेदिका को इस वाद में झूठा फंसा दिये हैं। आवेदिका स्थानीय व्यक्ति है तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदिका न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।
5. विद्वान अपर लोक अभियोजक कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक मनोज कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदिका ज्योति देवी के विरूद्ध कटिहार नगर थाना

Web copy of civil court katihar

Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 395/2026, Katihar town P.S. Case No.- 544/2025
Jyoti devi V/s State of Bihar

कांड संख्या– 544/2025 दिनांक 03.06.2025 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 87 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदिका पर आरोप है कि उसने सूचक की पुत्री तन्नु कुमारी उम्र 18 वर्ष को मॉर्निंग वाक के बहाने घर से बाहर लेकर चली गयी तथा फिर नहीं आयी। कांड देनिकी के कंडिका 3, 7, 8, 9 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। अनुसंधान कर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में पीड़िता को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदिका के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 183/2026 दिनांक 31.03.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 96,137(2) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया है। पीड़िता द्वारा न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अन्तर्गत दिये गये बयान में कहा गया है कि " मेरे घर के बगल में एक आंटी रहती है, ज्योति देवी। हमारी दोस्ती थी। खाना भी खिलाती थी। वह जो बोलती थी हम मानते थे। दिनांक 01.06.2025 को वह मुझे खाना खिलाई बोली कि चलो साथ रहेंगे, घुमेंगे, अगले दिन हम सुबह में ज्योति देवी और उसकी छोटी बेटी के साथ मुम्बई के लिए निकल गये। दिनांक 04.06.2025 को 4:00 बजे शाम में मुम्बई पहुंचे। वह स्टेशन पर किसी लड़के को बुलायी थी। वह लड़का सिकन्दर आया, स्टेशन पर। वह मुझे रूम पर लेकर गया। दो–तीन दिन रहे तो हमे मम्मी की याद आ रहा था तो हम आंटी के मोबाईल से मम्मी को कॉल किया तो मम्मी से बात हुई। आंटी मुझे वापस लेकर नहीं आ रही थी तो हम बहुत रोने लगे तथा फिर हम आंटी और उनकी बेटी 15.06.2025 को ट्रेन पकड़कर वापस आ गये"। प्राथमिकी आवेदन से ही स्पष्ट है कि पीड़िता का उम्र 18 वर्ष कहा गया है, परन्तु पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में अपना उम्र 17 वर्ष बताया है तथा विद्वान प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा भी पीड़िता का उम्र 17 वर्ष आकलित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध पीड़िता के अंकपत्र से विदित है कि उसकी जन्मतिथि 02.08.2008 है, जिससे विदित है कि घटना के दिन उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। उभय पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा अभिलेख पर है तथा सूचक मनोज कुमार भी न्यायालय में उपस्थित होकर सुलहनाम का समर्थन किया है। आवेदिका दिनांक 28.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा कांड दैनिकी में उसका कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में पक्षकारों के मध्य हुए सुलह एवं आवेदिका के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदिक ज्योति देवी की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक 10.04.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10000/–रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	30-04-2026
Date of Reserving order	30-04-2026
Date of uploading21-04-2026	30-04-2026
Uploaded by	

Web Copy Civil Court, Katihar